<u>विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शहरी अभिशासन में नवाचार पर सम्मेलन</u>

अगस्त 26-27, 2013

सत्र III: महानगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन

शहरीकरणः चौंका देने वाले आंकड़ों का मंच तैयार है। भारत के शहर जो कि वर्तमान में 380 मिलियन लोगों का घर हैं आगामी दो दशकों के भीतर इसमें अतिरिक्त 300 मिलियन लोगों को रहने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह बढ़ता हुआ दानव, बहुत लंबे समय से जिसे 'अपने ग्रामों में निवास करता', अब अधिक से अधिक महानगरों और छोटे तथा मझौले आकार के शहरों में निवास करने जा रहा है। केवल चीन के बाद शहरों की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव को 21वीं सदी में दूसरे सबसे-बड़े शहरीकरण के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा। असंख्य चुनौतियां पहले ही इसका प्रमाण रही हैं। भारत के 70 प्रतिशत से अधिक शहरी कामगार अपनी आजीविका अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अर्जित करते हैं, और लगभग 50 प्रतिशत गरीब है अथवा अन्यथा तेजी से हो रहे शहरीकरण के लाभों से अपने आप को समायोजित नही कर पाने की भयंकर कमजोर अवस्था में हैं। लगभग 100 मिलियन भारतीय झुग्गी बस्तियों में रहते हैं जो मुंबई में इसकी आधी जनसंख्या से कहीं अधिक, और चेन्नई में इसकी जनसंख्या का एक तिहाई से अधिक।

लेकिन यह विशाल शहरीकरण पूरे भारत में आगामी 20 वर्षों या उससे अधिक के लिए अपार संभावनाएं भी प्रस्तुत करता है। शहर, उद्योग एवं वाणिज्य का घर होते हैं, और एक प्रकार की आर्थिक प्रगति जो सामने आई है यह हजारों-लाखों भारतीयों के लिए समृद्धि भी लाएगी। भारतीय शहरों का भविष्य जैसा भी होने वाला है, यह अपने नागरिकों को उनके विभिन्न आजीविकाओं, मूल अधेसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं, और उस राजनैतिक प्रक्रिया के प्रति जो इन्हें संभव बनाता है, उन सभी के प्रति सुरक्षित सुलभता हेतु उन्हें सक्षम बनाना चाहिए।

इन चर्चाओं का उद्देश्य चार बड़े नीतिगत क्षेत्रों में सहमति बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना हैः

- जिस प्रकार शहरों को वित्तपोषित किया जाता है उस प्रक्रिया में बुनयादी परिवर्तन करना, स्वंय के संसाधनों में सुधार, पूंजीगत बाजार और निजी निवेशकों तक पहुंच, और केन्द्र तथा राज्य हस्तांतरण योजनाओं में सुधार।
- शहरों में किए जाने वाले नियोजन में बुनयादी परिवर्तन, भूमि के उपयोग नियोजन और विनियमों के माध्यम से सुधार, और बहु-क्षेत्राधिकार स्थापनाओं व परियोजनाओं की व्यवस्थाओं हेतु एक व्यापक नियोजन प्रक्रिया।
- संरचनागत प्रावधान से पोषणीय सेवा प्रदेयता में परिवर्तन, पारदर्शी मूल्यन एवं सब्सिडी

की शुरूआत, मानकीकरण और निबटान, उन्नत विनियमन को सुनिश्चित करने के द्वारा सतत, उच्च गुणवत्ता की सेवाओं को जल एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा शहरी परिवहन में सुनिश्चित करना।

- 'समावेशी विकास' के 'समावेशी' हिस्से पर पुनःपरीक्षण को हाथ में लेना।

जैसे जैसे हमारे शहर प्रगति को प्रबंधित करने की इन चुनौतियों का सामना करते हैं, ये निर्णय और अधिक कठोर बनते जा रहे हैं, और अक्सर बोझ लगते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, यह पूछना सार्थक होगा कि किस प्रकार की निर्णय व्यवस्थाएं शहरों में पोषणीय सफलता से जुड़ी हुई हैं?

सत्र का आयोजन

अध्यक्षताः डॉ. मिहीर शाह, सदस्य, योजना आयोग

प्रमुख बातें: श्री वी.नारायनासामी, माननीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री

1. श्री यू.पी.एस. मदन, महानगरीय आयुक्त, एमएमआरडीए
   – महानगरीय क्षेत्रों के प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियां एव मुंबई के अनुभव
2. प्रो. ज्योति पारिख, कार्यकारी निदेशक, आईआरएडीई
   – पर्यावरण अनुकूल शहरीकरण
3. सुश्री निशा सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय
   – जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार एवं शहरों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख प्रयास

प्रत्येक सत्र 1.5 घंटे का होगा - प्रत्येक प्रस्तुतिकरण लगभग 10 मिनट की होगी। शेष एक घंटे की अवधि प्रतिभागियों के साथ आपसी परिचर्चा के लिए और मंच के निर्धारण तथा अध्यक्ष द्वारा सार-संक्षेपण (10 मिनट) के लिए होगी।